

राजस्थान सरकार

**प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर**

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 263657

Web Site www.techedu.rajasthan.gov.in ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4(152s) प्राशिम/पाविप्र/2022-23/ 4617

दिनांक 30 AUG 2024

**प्रधानाचार्य,**

समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय (इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग)  
द्वारा ई मेल।

**विषय :- महाविद्यालय में सामूहिक नकल के प्रकरणों पर की जाने वाली  
कार्यवाही के संबंध में।**

सन्दर्भ :-संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक  
एफ1(10)त.शि./2024-01844 दिनांक 21.08.24.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल का प्रकरण पाया जाता है तो उस महाविद्यालय के विरुद्ध **संलग्न नियमानुसार** दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

**अध्यक्ष/निदेशक**

क्रमांक एफ4(152s)प्राशिम/पाविप्र/2022-23/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, ई-2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी- परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सामान्य शाखा/पुस्तकालय प्राशिम.,जोधपुर।
8. श्री सतीश नाथ, नोडल ऑफिसर (Website) प्राशिम., जोधपुर को भेजकर लेख है कि इस पत्र को मण्डल की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करावें।

**अध्यक्ष/निदेशक**

Document certified by ANSHU KUMAR  
SAHGAL <DTE\_RAJ@RAJASTHAN.GOV.IN>

Digitally Signed by ANSHU  
SAHGAL  
Designation: Director  
Date :29-08-2024 05:53:50

**BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, RAJASTHAN, JODHPUR**  
**RULES AND REGULATION for PENALTY ON THE INSTITUTIONS FOUND INDULGED IN MASS COPYING**  
**FOR DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND NON ENGINEERING**  
**FOR THE SESSION 2024-2025 AND ONWARDS**

S.N	Case	Action	Punishment
1.	<p>Mass Copying is reported in any institute by Joint Director (Confidential)</p>	<p>A committee will be set up by Chairman, BTER and with following constitution: -                      1. Joint Director (Registrar), Chairman                      2. Joint Director (CDC), Member.                      3. Joint Director (Confidential), Member Secretary                      The committee will submit its report to Secretary, BTER with recommendation of punishment.                       Secretary, BTER, with his comments will put forward the case to Chairman, and with the due approval from the Chairman, the case will be put up before the Result committee for final decision.</p>	<p>1. The Institute will be blacklisted not be made Centre of any examination for next three years. The message of this information will be sent to all colleges and will be uploaded on the official website of board.                       OR/AND                       2. The Institute will not be allowed new admissions in First year as well in Lateral Entry for next one year.</p>

*Handwritten signature*